



2026:AHC: 172730

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 1043 वर्ष 2025

काजल और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विष्णु कांत तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

आदेश दिनांक 08.07.2026 के माध्यम से, राज्य को बंदी (कार्पस), काजल को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को अपने-अपने व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किए गए वैज्ञानिक परीक्षण के परिणाम को अभिलेख पर रखा जाए।

पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में, राज्य ने पुलिस थाना सुजानगंज, जिला जौनपुर के उप-निरीक्षक श्री अमित कुमार पांडे और महिला कांस्टेबल सुश्री प्रीति यादव के माध्यम से बंदी (कार्पस), काजल को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इस न्यायालय ने खुली अदालत में बंदी (कार्पस), काजल से बातचीत किया। उसने खुलासा किया कि उसकी आयु लगभग 19 वर्ष है और उसने लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व रामनाथ के साथ अपना विवाह संपन्न किया था। उसने आगे कहा कि उक्त विवाह से एक पुत्री का भी जन्म हुआ है। बंदी (कार्पस) ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से रामनाथ के साथ विवाह संपन्न किया था और तब से वह स्वेच्छा से अपने वैवाहिक घर में उसके साथ रह रही है। उसने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आगे कहा कि वह किसी भी व्यक्ति की अवैध या गैरकानूनी निरुद्धि में नहीं है और वह अपनी माता, याचिकाकर्ता के साथ रहने की इच्छा नहीं रखती है।

इस न्यायालय ने रामनाथ से भी बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि वह पेशे से एक सपेरा है और बंदी (कार्पस) उसकी विधिक रूप से विवाहित पत्नी है। उसने आगे कहा कि बंदी (कार्पस) स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के उसके साथ रह रही है।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, श्रीमती सुमन देवी से भी बातचीत किया, जो बंदी (कार्पस) की माता हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता रामनाथ के साथ विवाह करने और उसके साथ रहने के बंदी (कार्पस) के निर्णय से स्वाभाविक रूप से निराश और व्यथित है। हालांकि, विवाह और निवास से संबंधित मामलों में एक वयस्क महिला की व्यक्तिगत पसंद संवैधानिक संरक्षण की हकदार है। एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तो वह यह सुविज्ञ और स्वायत्त विकल्प चुनने की विधिक क्षमता प्राप्त कर लेता है कि वह किससे विवाह करेगा और किसके साथ रहेगा। इस प्रकार की व्यक्तिगत स्वायत्तता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

वर्तमान वाद में, बंदी (कार्पस) स्वीकार्य रूप से एक वयस्क महिला है और उसने इस न्यायालय के समक्ष अपनी स्वतंत्र इच्छा और स्वेच्छा से अपने पति, रामनाथ के साथ रहने की अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि उसका निर्णय बल, दबाव, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या किसी अन्य गैरकानूनी साधन का परिणाम है। इसके विपरीत, इस न्यायालय के समक्ष उसका बयान उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और व्यक्तिगत पसंद के एक सचेत और स्पष्ट प्रयोग को दर्शाता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष बंदी (कार्पस) के वर्ष 2024 से संबंधित हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र की एक फोटोकॉपी भी प्रस्तुत की है, जिसमें उसकी जन्म तिथि 03.05.2008 दर्ज की गई है। उक्त दस्तावेज आगे इस बात की पुष्टि करता है कि बंदी (कार्पस) ने अपने विवाह की तिथि पर वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली थी और इसलिए, वह अपने वैवाहिक जीवन और निवास स्थान के संबंध में एक स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पूर्वोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के दृष्टिगत, यह न्यायालय संतुष्ट है कि बंदी (कार्पस) किसी भी व्यक्ति की अवैध या गैरकानूनी अभिरक्षा में नहीं है। उसने स्वेच्छा से अपने पति के साथ रहने का विकल्प चुना है और याचिकाकर्ता के साथ रहने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, जो उसकी माता है। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट पोषणीय नहीं है।

तदनुसार, वर्तमान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कोई और निर्देश जारी करने का कोई आधार नहीं बनता है। परिणामस्वरूप, याचिका **खारिज** की जाती है।

बंदी (कार्पस) विधि के अनुसार अपनी पसंद के स्थान पर अपने पति, रामनाथ के साथ रहने और शांतिपूर्ण ढंग से अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए स्वतंत्र है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

17 अगस्त, 2026

हिमांशु